अनुसूची १४–फारम स०–८६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0....................से....................तक

जिला...................., सं0...................., सन् १६....................

केस का प्रकार....................

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा **ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 117–49/2011** गीता देवी – अपीलार्थी वनाम राज्य – रेस्पोण्डेन्ट **–: आदेश :–** प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा के द्वारा आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या 127/2011 में पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 117/2011 दायर किया गया है जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। । प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद पुकारा गया । उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेखीय साक्ष्य का सुक्ष्म अवलोकन किया । प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि ऑगनबाड़ी अपीलवाद संख्या– 56/ 2010–11 में दिनांक 23.09.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में ऑगनबाड़ी रिविजन वाद संख्या 127/2011 दायर किया गया था वो आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा दिनांक 10.11.2011 को पारित आदेश द्वारा उक्त वाद जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में सुनवाई हेतु पुनःप्रेषित (Remand) किया गया जिसे जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा इस न्यायालय जो उनके न्यायालय से निम्न न्यायालय है में स्थानान्तरित किया गया है । वर्णित स्थिति में उक्त वाद इस न्यायालय में पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपीलवाद को जिला पदाधिकारी, सहरसा को वापस किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित, 10/1/14 क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा। 10/1/14 क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा	